

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI.**

Index

COMPLIANCE AFFIDAVIT

On Behalf of

Nagar Palika Parishad, Azamgarh -----Respondent no.3

IN

MISC. APPLICATION IN DISPOSED OF CASE NO.61/2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 42/2024

(DISTRICT : AZAMGARH)

Madasir Hasan and Others

-----Applicant

Versus

State of U.P

-----Respondents

Sl. No.	Particulars	Dated	Anx No.	Page No.
1.	Compliance Affidavit on behalf of the Respondent No.3)			1-6
2.	I.D. Proof of the deponent			7-7
3.	letter dated 28.08.2024	28.08.2024	1	8-10
4.	notices dated 12.08.2024 and 16.08.2024 and personal affidavit.	12.08.2024	2	11-37
5	FIR dated 24.08.2024	24.08.2024	3	38-45
6	statements of the local residents		4	46-53
7	photographs of sewer line		5	54-59
8	photogarphs of the bioremediation measures		6	60-65

अधिसासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
आजमगढ़

	and cleaning process			
	Vakalatnama			66

Dated: 29/8/2024.

[ABHISHEK KRISHNA]

Advocate

Advocate Roll: A/A-2059/2013

Counsel for Respondent No.3

Chamber- No.197, T.U. Building,

High Court, Allahabad

Mobile No.7800436099.

अधिकाारी
नगर पालिका परिषद
अजमगढ़



1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI.

COMPLIANCE AFFIDAVIT

On Behalf of

Nagar Palika Parishad, Azamgarh -----Respondent no.3

IN

MISC. APPLICATION IN DISPOSED OF CASE NO.61/2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 42/2024

(DISTRICT : AZAMGARH)

Madasir Hasan and Others

Attested



State of U.P

-----Applicant

Versus

-----Respondents

Affidavit of Vivek Tripathi aged about 39 years son of Vijay Mani Tripathi, Resident of 42,a Dakhi, Kolhi Bazar, Post Rajmandir Kala Kolhul Maharaganj, Uttar Pradesh PIN 273162 Religion -Hindu, Occupation: Service.

(Deponent)

I, the deponent abovenamed do hereby solemnly affirm and state on oath as under :-

1. That the deponent is presently posted as Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Azamgarh District Azamgarh and has been arrayed as Respondent No.3 in the array of the parties in the said Misc. Application in disposed of case No.61of 2024 in original application no.42 of 2024, and as such he is well acquainted with the facts deposed to below.


अधिशसी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

2. That it is respectfully submitted that the deponent being a responsible Government Servant has the highest regards for the Majesty of the orders passed by this Hon'ble Court. However, if this Hon'ble Court comes to the conclusion that any action or omission on the part of the deponent is in violation of any of the orders passed by this Hon'ble Court, the deponent tenders his unconditional apology for the same and begs to be pardoned.
 3. That the deponent is filing the affidavit in compliance of the order dated 12.08.2024 passed by Hon'ble Tribunal.
 4. That it is submitted that there is a pond (Gadhi) situated in Mohalla Jalandhari, District Azamgarh. Previously the some residents of nearby pond (Gadhi) were flowing their dirty water alongwith domestic sewage into the said pond resulting into pollution and health hazards has been caused to the local residents of that vicinity thereby complaint was made.
 5. That when the complaint was came into the knowledge of respondent no.3 then the respondent no.3 has taken immediate remedial steps to stop the above sewage effluent into the pond (Gadhi).
- That on dated 28.08.2024 the respondent no.3 has submitted his entire work through letter dated 28.08.2024 to the Additional District Magistrate Azamgarh regarding the effort made in stopping such sewage effluent from spreading into the enters residences of local people causing lot of pollution and health hazards. For the



perusal of this Hon'ble court the letter dated 28.08.2024 has being marked herewith as an **Annexure No.1** to this affidavit.

7. That to stop the black water into the pond (Gadhi) the house owners residing in Mohalla Jalandhari district Azamgarh whose black water was going into the pond (Gadhi) causing pollutions has been given notices on dated 16.08.2024 to stop flowing black water with immediate effect which contains the warning to stop such pollutions forthwith and they were given notices by the Nagar Palika Parishad respondent no. 3 and they were also directed to construct syptic tank with soak pit in their house they are ten in numbers. The Nagar Palika Parishad Azamagarh constructed/ Started six Permanent seater Samudayik Sauchalaya (Public Toilet) nearby their house and the have been directed to use the same through notice dated 12.08.2024 and may not flow their black water into the said pond. It is further submitted that all the house owner whose was flowing into the pond (Gadhi) started construction of septic tank in their house. Moreover the respondent no.3 has sent the notices dated 12.08.2024 to the local residents of the place of pollution occurrence to stop the sewage effluent and their domestic waste. Further some local residents of the said place near the pond has given their personal affidavit to the respondent no.3 and undertake not to flow their black water including their domestic sewage in the pond and use the public toilet of respondent no.3 until their own house septic tank with soak pit get constructed. For the perusal of this Hon'ble court the notices dated 12.08.2024 and 16.08.2024 are sent to the concern




अधिभासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
अजिम्गद

residents of the village Jalandhari and and the personal affidavit of the local residents of the said place near the pond are being marked herewith as an **Annexure No.2** to this affidavit.

8. That it is most respectfully submitted here that despite of the notices given to the house owners residing in Mohalla Jalandhari district Azamgarh who are responsible for causing such Environment pollutions, respondent no.3 when found such pollutions still persist then respondent no.3 taken stringent step and logged FIR on dated 24.08.2024 against the concerns culprits, in order to stop such pollutions. For the perusal of this Hon'ble court the FIR dated 24.08.2024 has being marked herewith as an **Annexure No.3** to this affidavit.


9. That it is pertinent to state here that the local residents of the village-Mohalla Jalandhari District Azamgarh has appreciated and placed their own duly signed statements regarding the work of the respondent no.3 in stopping the aforesaid pollution in the alleged place. For the perusal of this Hon'ble court the duly signed statements of the local residents of the village-Mohalla Jalandhari District Azamgarh has being marked herewith as an **Annexure No.4** to this affidavit.

That so far as grey water of the said ten houses is concerned the same has been diverted and connected with other drainage who connecting the main drainage of the city.



11. That it is further submitted that in order to resolve the problem permanently 1600 meter sewer line are under construction out of 1600 meter 1100 meter sewer line has already been constructed and rest 500 meter is under construction and same shall be positively completely till the end of the month September 2024. For the perusal of this Hon'ble court sewer line constructed in village-Mohalla Jalandhari District Azamgarh has being marked herewith as an **Annexure No.5** to this affidavit.
12. That it is also submitted that in order to prevent pollution from the water of pond one Safai Nayak and four sweepers has already been deployed to monitor and to clean the said pond regularly and they also doing bioremediation measures in order to control the pollution caused by such activities. It is also submitted that an effort by the respondent no.3 for rejuvenation of the said pond is for proposes and for its approval same has to be send in nearby future to the State government. For the perusal of this Hon'ble court the photogaphs of the bioremediation measures and cleaning process of the pond situated in the village-Mohalla Jalandhari District Azamgarh by the respondent no.3 has being marked herewith as an **Annexure No.6** to this affidavit.


That it is specifically stated that there is no willful or deliberate negligence on part of the respondent no.3 and the respondent no.3 is taking all necessary preventive measures to stop the pollution caused by collection of dirty water into the pond (Gadhi) situated in Mohalla Jalandhari, District Azamgarh.



अधिकाारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

14. That the deponent is responsible government employee having high regard of the order passed by Hon'ble Court and he cannot even think in dream to disobey the directions given by the Hon'ble Court.
15. That in view of the above, this Hon'ble Court may kindly be pleased to accept the personal affidavit filed by deponent and same may be taken on record.

I, the deponent above named, do hereby declare that the contents of Para No. 1, 2, 3, 4, 5 and 10 of this affidavit are true to my personal knowledge; those of paras No. 6, 7, 8, 9, 11 and 12 are based on records; those of paras No. 13, 14 and 15 are based on legal advice, which all I believe to be true. Nothing is false and nothing material has been concealed.



So help me God.

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
अजमेरगढ़
(Deponent)

I, **ABHISHEK KRISHNA**, Advocate, High Court Allahabad, do hereby declare and verify that the person making this affidavit is known to me through the papers produced by him in this case and I am satisfied that he is the same person alleging to be the deponent himself.

[**ABHISHEK KRISHNA**]
Advocate

Advocate Roll: A/A-2059/2013

Identified by *W. K. Tripathi*
Advocate to be his/her affidavit
are true and correct which is here to
verified and attest

P. K. Dwivedi
Advocate Notary
Govt. of India

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
अजमेरगढ़



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारत सरकार

Unique Identification Authority of India
Government of India



संक्रमांक/Enrolment No.: 1366/90153/04537

Vivek Tripathi

S/O: Vivek

post- road

Uttar Pradesh

आपका

Date: 19/11/2016

सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन द्वारा प्राप्त करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

INFORMATION

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.
- This is electronically generated letter.

Signature Not Verified
Digitally signed by Unique Identification Authority of India
Date: 2016.11.19 04:27:44 IST

मेरा आधार, मेरी पहचान



1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

- आधार देश भर में मान्य है।
- Aadhaar is valid throughout the country.
- आधार के लिए आपको एक ही बार नामांकन दर्ज करवाने की आवश्यकता है।
- You need to enrol only once for Aadhaar.
- कृपया अपना नवीनतम मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पता दर्ज कराएं। इससे आपको विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने में सहायित होगी।
- Please update your mobile number and e-mail address. This will help you to avail various services in future.



भारत सरकार

INDIA



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:

चिपाठी, S/O
देर
जगज,
.62

2, a.

185

5168 7547 5892

मेरा आधार, मेरी पहचान

अधिष्ठासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
प्रायगढ़



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI.**

Annexure No. 1
COMPLIANCE AFFIDAVIT

On Behalf of

Nagar Palika Parishad, Azamgarh -----Respondent no.3

IN

MISC. APPLICATION IN DISPOSED OF CASE NO.61/2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 42/2024

(DISTRICT : AZAMGARH)


Madasir Hasan and Others

-----Applicant

Versus

State of U.P

-----Respondents



अधिशसी अधिकारी
पालिका परिषद
Azamgarh

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़।

पत्रांक:- 467

/न0पा0प0आ0/2024-25

दिनांक:- 28 अगस्त, 2024

सेवामें,

अपरजिलाधिकारी(वि0/रा0)/
प्रभारीअधिकारी स्थानीय निकाय
आजमगढ़।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रमुख बेंच नई दिल्ली द्वारा एम0ए0नं0 61/2024 (मूल प्रार्थना-पत्र संख्या-42/2024) मदसिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के अनुपालन के संबंध में वांछित स्पष्ट आख्या।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या-387/एल0बी0सी0 दिनांक 23.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा योजित Misc Application in Disposed of Cases No. 61/2024 In ओ0ए0 संख्या-42/2024 Madasir Hasan &Ors Vs State of U.P. में पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 के अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में अनुपालन आख्या निम्नवत् है-

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 01.07.2024 के समादर में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक-428/न0पा0प0आ0/2024-25 दिनांक 09.08.2024 द्वारा मोहल्ला जालांधरी में प्रश्नगत गढ़ही में किसी भी प्रकार का घरेलू उत्प्रवाह नहीं किया जा रहा है। पूर्व के जो भी उत्प्रवाह उक्त गढ़ही में जा रहा था उसके आउटलेट को बन्द करा दिया गया है तथा घरों से निकलने वाले ग्रे वाटर को नालियों से जोड़ते हुए मुख्य नाले के माध्यम से शहर के बाहर निकाल दिया जा रहा है। उक्त उत्प्रवाह का वायोरेमिडिएशन कराया जा रहा है।

अधिशाली अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम नगरीय आजमगढ़ की आख्या दिनांक 24.08.2024 जो मूलरूप से अधीक्षण अभियन्ता निर्माण को सम्बोधित है और अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है में उल्लेख है कि मोहल्ला जलांधरी के 301 घरों से निकलने वाले सीवेज के स्थायी निस्तारण हेतु जलांधरी मोहल्ले में कुल 1600 मी0 सीवर लाइन कार्य कराया जा रहा है जिसके सापेक्ष 1100 मी0 सीवर लाइन बिछाने जाने का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। तथा 500 मी0 सीवर लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद हेतु अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 एम0एल0डी0 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट जिसका लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही इस का संचालन प्रारम्भ हो जायेगा। उक्त मोहल्ले में जल निगम (नगरीय) आजमगढ़ द्वारा सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है जो कि लगभग 95 प्रतिशत तक पूर्ण करा लिया गया है और शेष 5 प्रतिशत कार्य दिनांक 15.09.2024 तक पूर्ण करा लिया जायेगा तदुपरान्त उक्त मोहल्ले के समस्त घरेलू उत्प्रवाह को एस0टी0पी0 के माध्यम से उपचारित करने की कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी। साथ ही अवगत कराना है कि आजमगढ़ में एफ0एस0टी0पी0 का संचालन भी हो रहा है तथा नियमित रूप से फिकल का शोधन की कार्यवाही भी किया जा रहा है।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 01.07.2024 के समादर में तत्काल मोहल्ले जलांधरी में स्थित गढ़ही के साथ सम्पूर्ण मोहल्ले में अवस्थित घरों के घरेलू उत्प्रवाह के संबंध में नगर पालिका परिषद द्वारा सर्वे किया गया था। उक्त मोहल्ला घनी आबादी वाली पुरानी बस्ती है, जिसमें कुल 301 घर अवस्थित है इसी मोहल्ले में उत्तर तरफ प्रश्नगत गढ़ही पड़ती है, जिसके चारों तरफ 43 घर बने हुए हैं, जिनमें से तत्समय 10 घरों द्वारा उत्प्रवाह को सीधे गढ़ही में निक्षेपित किया जा रहा था, इन

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़



घरों का सर्वे किया गया और पाया गया कि इन घरों में सैप्टिक टैंक नहीं बनाया गया था तथा उत्प्रवाह को गढ़ही में निक्षेपित किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए दिनांक 25.04.2024, 26.07.2024 को नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा नोटिस निर्गत किया गया तथा उक्त गृह स्वामियों को उनके घरों के पास लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित 06 सीटर सामुदायिक शौचालय के प्रयोग करने हेतु तथा गढ़ही में किसी भी प्रकार के उत्प्रवाह को गिराने से स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था, किन्तु उक्त भवन स्वामियों द्वारा कोई भी अनुपालन न करने के कारण उनके विरुद्ध जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974) के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत परिषद द्वारा दिनांक 24.08.2024 को थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में अपराध संख्या-0474/2024 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा दिया गया है। वर्तमान में उक्त गृह स्वामियों के सैप्टिक टैंक का निर्माण प्रक्रियाधीन है तथा सामुदायिक शौचालय का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में गढ़ही में किसी भी प्रकार उत्प्रवाह नहीं हो रहा है। मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2024 के उपरान्त उक्त गढ़ही की साफ-सफाई के लिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा प्रतिदिन दोनो पालियों में 01 सफाई नायक 04 सफाई कर्मियों के माध्यम से सफाई करायी जा रही है और गढ़ही के एकत्र पानी का नियमित बायोरेमिडिएशन कराया जा रहा है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा उक्त गढ़ही को सुन्दरीकरण हेतु कार्ययोजना शासन में स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने हेतु आगणन गठित कराया जा रहा है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश का सम्यक अनुपालन किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतेगी।

यह भी अवगत कराना है कि मोहल्ला जालंधरी धनी आबादी वाली पुरानी बस्ती (Old Settlement) का मुहल्ला है, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा उक्त मोहल्ले में आवश्यकता अनुरूप अवस्थापना सुविधाओ यथा नाली इत्यादि का निर्माण कराया गया है इसी क्रम में उक्त मोहल्ले में 6 सीटर सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी विगत वर्षों में कराया गया है जिससे मल से प्रदूषण उत्पन्न से बचा जा सका। वर्तमान में मोहल्ला जालंधरी शिकायतकर्ता श्री मदस्सिर हसन से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता सपरिवार दिल्ली में निवासरत है उनके परिवार के सदस्य मोहल्ला जालंधरी में निवास करते है।

अनुपालन आख्या मय् फोटोग्राफ, प्रथम सूचना रिपोर्ट संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

28/8/24
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़।

28/8/24



अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI.**

Annexure No. 2
COMPLIANCE AFFIDAVIT

On Behalf of

Nagar Palika Parishad, Azamgarh -----Respondent no.3

IN

MISC. APPLICATION IN DISPOSED OF CASE NO.61/2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 42/2024

(DISTRICT : AZAMGARH)


Madasir Hasan and Others

-----Applicant

Versus

State of U.P

-----Respondents



अधेशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
अजमगर

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

पत्रांक:- 290 /न0पा0प0आ0/2024-25

दिनांक:- 12/8/2024

नोटिसश्री.....दामिनी.....पुत्र श्री.....कुलकर्णी.....

निवासी मुहल्ला-जालन्धरी,

शहर-आजमगढ़।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग के उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाया जा रहा है एवं निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि आपके घर में कोई भी शौचालय सेप्टिक टैंक नहीं बनाया गया है जो सीधे पोखरी में गिरता है जिससे पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है एवं गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है। जिसके क्रम में आप अपने घर में जब तक शौचालय का सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करा लेते हैं तब तक के लिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं0-25 मुहल्ला जालन्धरी में निर्मित सामुदायिक शौचालय का प्रयोग आपके द्वारा किया जायेगा जो कि आपके आवास से अधिकतम 100मी0 के परिधि में स्थित है। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
12/08/2024
प्र0सफाई निरीक्षक
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़



अधिकांश अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

पत्रांक:- 590 / न0पा0प0आ10 / 2024-25

दिनांक:- 12/8/2024

नोटिस

श्री...आजमगढ़.....


पुत्र श्री...मुहम्मद.....

निवासी मुहल्ला-जालंधरी,

शहर-आजमगढ़।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग के उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाया जा रहा है एवं निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि आपके घर में कोई भी शौचालय सेप्टिक टैंक नहीं बनाया गया है जो सीधे पोखरी में गिरता है जिससे पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है एवं गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलाने की आशंका प्रायः बनी रहती है। जिसके क्रम में आप अपने घर में जब तक शौचालय का सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करा लेते हैं तब तक के लिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं0-25 मुहल्ला जालंधरी में निर्मित सामुदायिक शौचालय का प्रयोग आपके द्वारा किया जायेगा जो कि आपके आवास से अधिकतम 100मी0 के परिधि में स्थित है। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

Mulwib Adani


 12/8/2024
 प्र0सफाई निरीक्षक
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़



अधिशाली अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़

29/8/24

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

पत्रांक:- २९० /न०पा०प०आ०/2024-25

दिनांक:- 12/8/2024

नोटिस

श्री. आफ़्ताब..... पुत्र श्री मुहम्मद.....


निवासी मुहल्ला-जालन्धरी,


शहर-आजमगढ़।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास से निकलने वाले दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी (Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी (Black Water) पोखरी में बहाया जा रहा है जिससे पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है एवं गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रवृत्ति सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलाने की आशंका प्रायः बनी रहती है। जिसके लिए आपको दो बार क्रमशः दिनांक 26.07.2024 एवं 16.08.2024 को नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है जिसके क्रम में आप अपने घर में जब तक शौचालय का सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करा लेते हैं तबतक के लिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं०-25 मुहल्ला जालन्धरी में निर्मित सामुदायिक शौचालय का प्रयोग आपके द्वारा किया जायेगा जो कि आपके आवास से अधिकतम 100मी० के परिधि में स्थित है।

अन्यथा की स्थिति में नियमनुसार कार्यवाही की जायेगी।

Mohd Ab Adam


 12/08/2024
 प्र०सफाई निरीक्षक
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़



अधिसासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

पत्रांक:- 290 /न0पा0प0आ0 /2024-25


दिनांक:- 12/8/2024


नोटिस

श्री...श.सु.ल. पल्लार. कुशरी
पुत्र श्री...अ.सु.ल. र.दी.क.
निवासी मुहल्ला-जालंधरी,
शहर-आजमगढ़।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग के उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में वहाया जा रहा है एवं निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि आपके घर में कोई भी शौचालय सेप्टिक टैंक नहीं बनाया गया है जो सीधे पोखरी में गिरता है जिससे पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है एवं गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलाने की आशंका प्रायः बनी रहती है। जिसके क्रम में आप अपने घर में जब तक शौचालय का सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करा लेते हैं तब तक के लिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं0 25 मुहल्ला जालंधरी में निर्मित सामुदायिक शौचालय का प्रयोग आपके द्वारा किया जायेगा जो कि आपके आवास से अधिकतम 100मी0 के परिधि में स्थित है। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

भरत


 प्र0सफाई निरीक्षक
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़



अधिकांश अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

पत्रांक:- 240 / न0पा0प0आ0 / 2024-25

दिनांक:- 12/8/2024

नोटिस

श्री... श्री आजमगढ़

पुत्र श्री... श्री सी. सी. वाँ

निवासी मुहल्ला-जालन्धरी,

शहर-आजमगढ़।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग के उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी (Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी (Black Water) पोखरी में बहाया जा रहा है एवं निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि आपके घर में कोई भी शौचालय सेप्टिक टैंक नहीं बनाया गया है जो सीधे पोखरी में गिरता है जिससे पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है एवं गन्धगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है। जिसके क्रम में आप अपने घर में जब तक शौचालय का सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करा लेते हैं तब तक के लिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं0 25 मुहल्ला जालन्धरी में निर्मित सामुदायिक शौचालय का प्रयोग आपके द्वारा किया जायेगा जो कि आपके आवास से अधिकतम 100मी0 के परिधि में स्थित है। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

प्रश्न कीया

12/8/2024

12/8/2024

प्र0सफाई निरीक्षक
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़



कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

पत्रांक:- 290 / न0पा0प0आ0 / 2024-25


दिनांक:- 12/8/2024

नोटिस

श्री... नासिर कुरैशी
 पुत्र श्री... नूर अहमद
 निवासी मुहल्ला-जालंधरी,
 शहर-आजमगढ़।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग के उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी (Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी (Black Water) पोखरी में वहाया जा रहा है एवं निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि आपके घर में कोई भी शौचालय सेप्टिक टैंक नहीं बनाया गया है जो सीधे पोखरी में गिरता है जिससे पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है एवं गन्दा की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है। जिसके क्रम में आप अपने घर में जब तक शौचालय का सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करा लेते हैं तब तक के लिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं0-25 मुहल्ला जालंधरी में निर्मित सामुदायिक शौचालय का प्रयोग आपके द्वारा किया जायेगा जो कि आपके आवास से अधिकतम 100मी0 के परिधि में स्थित है। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

नासिर


 प्र0सफाई निरीक्षक
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़



अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

पत्रांक:- 290 /न0पा0प0आ0/2024-25

दिनांक:- 12/8/2024

नोटिस


श्री.....

पुत्र श्री.....

निवासी मुहल्ला-जालन्धरी,

शहर-आजमगढ़।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग के उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में वहाया जा रहा है एवं निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि आपके घर में कोई भी शौचालय सेप्टिक टैंक नहीं बनाया गया है जो सीधे पोखरी में गिरता है जिससे पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है एवं गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है। जिसके क्रम में आप अपने घर में जब तक शौचालय का सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करा लेते हैं तब तक के लिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं0-25 मुहल्ला जालन्धरी में निर्मित सामुदायिक शौचालय का प्रयोग आपके द्वारा किया जायेगा जो कि आपके आवास से अधिकतम 100मी0 के परिधि में स्थित है। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।



12/08/2024

प्र0सफाई निरीक्षक

नगर पालिका परिषद

आजमगढ़

श्रीमानो



प्रदेशपाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

पत्रांक:- ११० /न०पा०प०आ०/2024-25


दिनांक:- 12/8/2024


नोटिस

श्री.....
पुत्र श्री.....
निवासी मुहल्ला-जालन्धरी,
शहर-आजमगढ़।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग के उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में वहाया जा रहा है एवं निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि आपके घर में कोई भी शौचालय सेप्टिक टैंक नहीं बनाया गया है जो सीधे पोखरी में गिरता है जिससे पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है एवं गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है। जिसके क्रम में आप अपने घर में जब तक शौचालय का सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करा लेते हैं तब तक के लिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं० 25 मुहल्ला जालन्धरी में निर्मित सामुदायिक शौचालय का प्रयोग आपके द्वारा किया जायेगा जो कि आपके आवास से अधिकतम 100मी० के परिधि में स्थित है। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

उपरोक्त शर्तों के अधीन


 प्र०सफाई निरीक्षक
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़



अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़


कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़
पत्रांक:- 570 / न0पा0प0आ0 / 2024-25

दिनांक:- 12/8/202


नोटिस

श्री...
पुत्र श्री...
निवासी मुहल्ला-जालन्धरी,
शहर-आजमगढ़।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग के उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाया जा रहा है एवं निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि आपके घर में कोई भी शौचालय सेप्टिक टैंक नहीं बनाया गया है जो सीधे पोखरी में गिरता है जिससे पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है एवं गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है। जिसके क्रम में आप अपने घर में जब तक शौचालय का सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करा लेते हैं तब तक के लिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं0 25 मुहल्ला जालन्धरी में निर्मित सामुदायिक शौचालय का प्रयोग आपके द्वारा किया जायेगा जो कि आपके आवास से अधिकतम 100मी0 के परिधि में स्थित है। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।


प्र0सफाई निरीक्षक
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

Nahid Mumtaz



अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

2

65

21

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

पत्रांक:-251(11)/न0पा0प0आ0/2024-25

दिनांक:-16-08-2024


नोटिस



श्री नासिर कुरैशी पुत्र श्री नूर अहमद
निवासी मुहल्ला-जालन्धरी,
शहर-आजमगढ़।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास/प्रतिष्ठान से निकलने वाले मलवा/कूड़े को पोखरी में फेका जाता है एवं आपके आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाया जा रहा है जिससे पोखरी में जलभराव व पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है, तथा गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है।

अतः नोटिस प्राप्त के दो दिवस के अन्दर पोखरी में से अपना कूड़ा आदि फेकना व अपने आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाना यथाशीघ्र बन्द करते हुए आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित नाली में बहाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धारा एवं एन0जी0टी0 एक्ट(Section Water Act, 1974) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जुर्माना आरोपित करत हुए नियमानुसार विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

For 
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़



अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ

पत्रांक:- 291 /न0पा0प0आ0/2024-25

दिनांक:- 16.8.24


नोटिस

श्री काशिफ आलम
(आलम मेडिकल हाल वाले)
निवासी मुहल्ला-चकला जालन्धरी,
शहर-आजमगढ।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास/प्रतिष्ठान से निकलने वाले मलवा/कूड़े को पोखरी में फेका जाता है एवं आपके आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाया जा रहा है जिससे पोखरी में जलभराव व पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है, तथा गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है।


अतः नोटिस प्राप्ति के दो दिवस के अन्दर पोखरी में से अपना कूड़ा आदि फेकना व अपने आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाना यथाशीघ्र बन्द करते हुए आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित नाली में बहाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धारा एवं एन0जी0टी0 एक्ट(Section Water Act, 1974) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जुर्माना आरोपित करते हुए नियमानुसार विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।



अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ



कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़पत्रांक:-291^(V) /न0पा0प0आ0/2024-25

दिनांक:-16-08-2024



नोटिस

श्री दानिश पुत्र श्री मुख्तार
निवासी मुहल्ला-जालन्धरी,
शहर-आजमगढ़।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास/प्रतिष्ठान से निकलने वाले मलवा/कूड़े को पोखरी में फेंका जाता है एवं आपके आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाया जा रहा है जिससे पोखरी में जलभराव व पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है, तथा गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है।

अतः नोटिस प्राप्त के दो दिवस के अन्दर पोखरी में से अपना कूड़ा आदि फेंकना व अपने आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाना यथाशीघ्र बन्द करते हुए आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित नाली में बहाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धारा एवं एन0जी0टी0 एक्ट(Section Water Act, 1974) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जुर्माना आरोपित करते हुए नियमानुसार विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।


अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अमीर बेगम



अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ

पत्रांक:-291(1) /न0पा0प0आ0/2024-25

दिनांक:-16-08-2024

नोटिस

श्री अब्दुल जब्बार पुत्र श्री अब्दुल रहीम
निवासी मुहल्ला-जालन्धरी,
शहर-आजमगढ।


एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास/प्रतिष्ठान से निकलने वाले मलवा/कूड़े को पोखरी में फेका जाता है एवं आपके आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाया जा रहा है जिससे पोखरी में जलभराव व पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है, तथा गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है।

अतः नोटिस प्राप्त के दो दिवस के अन्दर पोखरी में से अपना कूड़ा आदि फेकना व अपने आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाना यथाशीघ्र बन्द करते हुए आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित नाली में बहाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धारा एवं एन0जी0टी0 एक्ट(Section Water Act, 1974) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जुर्माना आरोपित करां हुए नियमानुसार विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

Handwritten signature

Handwritten signature
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ



अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ

पत्रांक:-29⁽¹⁾ /न0पा0प0आ0/2024-25

दिनांक:-16-08-2024

नोटिस



श्री अफताब पुत्र श्री मुख्तार
निवासी मुहल्ला-जालन्धरी,
शहर-आजमगढ।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास/प्रतिष्ठान से निकलने वाले मलवा/कूड़े को पोखरी में फेका जाता है एवं आपके आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाया जा रहा है जिससे पोखरी में जलभराव व पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है, तथा गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है।


अतः नोटिस प्राप्त के दो दिवस के अन्दर पोखरी में से अपना कूड़ा आदि फेकना व अपने आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाना यथाशीघ्र बन्द करते हुए आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित नाली में बहाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धारा एवं एन0जी0टी0 एक्ट(Section Water Act, 1974) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जुर्माना आरोपित करते हुए नियमानुसार विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

आकेश


 Es. 
 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ



पत्रांक:-29(1)

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

/न0पा0प0आ0/2024-25

दिनांक:-16-08-2024

श्री फैजान पुत्र श्री फिरोज अहमद
निवासी मुहल्ला-जालन्धरी,
शहर-आजमगढ़।

नोटिस


एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास/प्रतिष्ठान से निकलने वाले मलवा/कूड़े को पोखरी में फेंका जाता है एवं आपके आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाया जा रहा है जिससे पोखरी में जलभराव व पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है, तथा गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है।

अतः नोटिस प्राप्ति के दो दिवस के अन्दर पोखरी में से अपना कूड़ा आदि फेंकना व अपने आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाना यथाशीघ्र बन्द करते हुए आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित नाली में बहाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धारा एवं एन0जी0टी0 एक्ट(Section Water Act, 1974) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जुर्माना आरोपित करते हुए नियमानुसार विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

[Signature]
FOS अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

Aiman



अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

पत्रांक:- 29(1)/न0पा0प0आ0/2024-25

दिनांक:- 16-08-2024

नोटिस

श्री अजफर अनीस फाखकी
पुत्र स्व0 अनीस फाखकी
निवासी-मुहल्ला-जालन्धरी,
गाजी मिया का रौजा के निकट
शहर-आजमगढ़।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास/प्रतिष्ठान से निकलने वाले मलवा/कूड़े को पोखरी में फेका जाता है एवं आपके आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाया जा रहा है जिससे पोखरी में जलभराव व पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है, तथा गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है।


अतः नोटिस प्राप्ति के दो दिवस के अन्दर पोखरी में से अपना कूड़ा आदि फेकना व अपने आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाना यथाशीघ्र बन्द करते हुए आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित नाली में बहाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धारा एवं एन0जी0टी0 एक्ट(Section Water Act, 1974) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जुर्माना आरोपित करते हुए नियमानुसार विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

Fahmy

Fahmy
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़



कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

पत्रांक:-25(C)/न0पा0प0आ0/2024-25

दिनांक:-16-08-2024

नोटिस

श्री सलमान कमर उर्फ सल्लू भाई
निवासी-मुहल्ला-जालन्धरी,
गाजी मिया का रौजा के निकट
शहर-आजमगढ़।


एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास/प्रतिष्ठान से निकलने वाले मलवा/कूड़े को पोखरी में फेका जाता है एवं आपके आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाया जा रहा है जिससे पोखरी में जलभराव व पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है, तथा गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है।

अतः नोटिस प्राप्त के दो दिवस के अन्दर पोखरी में से अपना कूड़ा आदि फेकना व अपने आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाना यथाशीघ्र बन्द करते हुए आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित नाली में बहाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धारा एवं एन0र्जा0टी0 एक्ट(Section Water Act, 1974) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जुर्माना आरोपित करते हुए नियमानुसार विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

Salman Qureshi

[Signature]
for अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़



अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

दिनांक:- 16.8.24

पत्रांक:- 29/ /न0पा0प0आ0/2024-25

नोटिस

श्री कली पुत्र श्री सत्तार
निवासी मुहल्ला-जालन्धरी,
शहर-आजमगढ़।


एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास/प्रतिष्ठान से निकलने वाले मलवा/कूड़े को पोखरी में फेका जाता है एवं आपके आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाया जा रहा है जिससे पोखरी में जलभराव व पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है, तथा गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है।

अतः नोटिस प्राप्ति के दो दिवस के अन्दर पोखरी में से अपना कूड़ा आदि फेकना व अपने आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाना यथाशीघ्र बन्द करते हुए आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित नाली में बहाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धारा एवं एन0जी0टी0 एक्ट(Section Water Act, 1974) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जुर्माना आरोपित करते हुए नियमानुसार विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

[Handwritten Signature]
की ली

[Handwritten Signature]
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़



अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

पत्रांक:- 291 / न0पा0प0आ0 / 2024-25

दिनांक:- 16-8-24


नोटिस

श्री शाहनवाज (यू0पी0 क्लाथ स्टोर वाले)
व श्री शादाब उर्फ मुन्ना पुत्रगण स्व0 मुमताज अहमद
निवासी मुहल्ला-जालन्धरी,
शहर-आजमगढ़।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास/प्रतिष्ठान से निकलने वाले मलवा/कूड़े को पोखरी में फेंका जाता है एवं आपके आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में वहाया जा रहा है जिससे पोखरी में जलभराव व पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है, तथा गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है।

अतः नोटिस प्राप्ति के दो दिवस के अन्दर पोखरी में से अपना कूड़ा आदि फेंकना व अपने आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में वहाना यथाशीघ्र बन्द करते हुए आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित नाली में वहाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धारा एवं एन0जी0टी0 एक्ट(Section Water Act, 1974) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जुर्माना आरोपित करते हुए नियमानुसार विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।


For अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

Nahid Mumtaz



अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

पत्रांक:-291 /न0पा0प0आ0/2024-25

दिनांक:-16. 8 .24

नोटिस

श्री मोअज्जूम पुत्र श्री नसीम खॉ
निवासी मुहल्ला-जालन्धरी,
शहर-आजमगढ़।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपने आवास/प्रतिष्ठान से निकलने वाले मलवा/कूड़े को पोखरी में फेका जाता है एवं आपके आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाया जा रहा है जिससे पोखरी में जलभराव व पोखरी का पानी पूर्णतः दूषित हो रहा है, तथा गन्दगी की स्थिति बनी रहने की प्रबल सम्भावना है। आपके इस कृत्य के कारण मुहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रायः बनी रहती है।

अतः नोटिस प्राप्त के दो दिवस के अन्दर पोखरी में से अपना कूड़ा आदि फेकना व अपने आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) पोखरी में बहाना यथाशीघ्र बन्द करते हुए आवास/प्रतिष्ठान से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी(Grey Water) तथा सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी(Black Water) को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित नाली में बहाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धारा एवं एन0जी0टी0 एक्ट(Section Water Act, 1974) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जुर्माना आरोपित करते हुए नियमानुसार विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Fov अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़




अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समक्ष:- अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, आजमगढ़।





शपथ पत्र मि० अब्दुल जब्बार कुरैशी निम्न

1-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरा नाम अब्दुल जब्बार कुरैशी मेरे पिता का नाम अब्दुल रहीम निवासी मुहल्ला- जालन्धरी वाई सं० 25 आजमगढ़ का निवासी हूँ।

2-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि शपथी द्वारा अपने आवास से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग के उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी Grey Water तथा सेफ्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी Black Water पोखरी में बहाया जा रहा था। नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा नोटिस निर्गत कर जिसे बन्द करा दिया है।

3-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि शपथी द्वारा अपने घर में शौचालय सेफ्टिक टैंक का निर्माण कराया जा रहा है। जब तक मेरे द्वारा सेफ्टिक टैंक का निर्माण नहीं करा लिया जाता है तब तक मेरे व मेरे परिवार द्वारा नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वाई सं० 25-मुहल्ला- जालन्धरी में निर्मित सामुदायिक शौचालय का उपयोग किया जायेगा।

4-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि उपरोक्त कुल मजमून बयान हल्फी हाजा सही व सच है।
स्थान तस्दीक कलेक्ट्री कचहरी आजमगढ़। दिनांक - 28-08-2024 ई०, *[Signature]*



शपथी,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

महाराष्ट्र

अहमद लखवत
विजय प्रताप सिंह
ल० नं०-54
कलेक्टरी कार्यालय अजमगढ़

1042

Ahmed Lakhat
Ardie Baker

1042
Ardie Baker
Anil Kumar Srivastava
20.11.2019



अधिकांश अधिकारी
नगर पालिका परिषद
अजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹. 10


TEN
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समक्ष:- अधिशासी अधिकारी,
न०पा०प० आजमगढ़।





बयानहल्फी मि० फैज़ान निम्नहै:-

1-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरा नाम फैज़ान मेरे पिता का नाम फिरोज अहमद निवासी मु०- जालन्धरी वार्ड नं० 25, आजमगढ़ का हूँ।

2-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि शपथी द्वारा अपने आवास से दैनिक घरेलू कार्य के उपयोग के उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी Grey water तथा सेफ्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी Black water पोखरी में बहाया जा रहा था। नगर पालिका आजमगढ़ द्वारा नोटिस निर्गत कर जिसे बन्द करा दिया गया है।

3-यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि शपथी द्वारा अपने घर में शौचालय सेफ्टीजिक का निर्माण कराया जा रहा है, जब तक मेरे द्वारा सेफ्टी टैंक का निर्माण नहीं करा लिया जाता है तब तक मेरे व मेरे परिवार द्वारा नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं० 25 मुहल्ला- जालन्धरी में निर्मित सामुदायिक शौचालय का उपयोग किया जायेगा।

4-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि कुल मजमून बयानहल्फी हाजा मेरे निजी ज्ञान में सही व सच है। स्थान सखीक बलकद्री कचहरी आजमगढ़। दिनांक - 28-08-2024 ई०



होगपथी,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़


उ-2-10/10 प्रैजा न 5/8 प्रिरी ज मु० जलम 310

विजय प्रताप सिंह 28-8-24
ल० न०-54
कलेक्टी कचहरी गजमग

प्रैजा न 5/8 प्रिरी ज मु० जलम 310

Faizan Ahmad
Firoz Ahmad
Faizan Ahmad
20/1/2024

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समक्ष:- अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद, आजमगढ़।


शपथ पत्र मि० मुख्तार निम्नहै:-

1-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरा नाम मुख्तार मेरे पिता का नाम गुलामन निवासी मु०- जालन्धरी वार्ड नं० 25, आजमगढ़ 3090 का हूँ।


2-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि शपथी द्वारा अपने आवास से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग के उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी Grey Water तथा सेफ्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी Black Water पोखरी में बहाया जा रहा था। नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा नोटिस निर्गत कर वि बन्द करा दिया गया है।

3-यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि शपथी द्वारा अपने घर में शौचालय सेफ्टिक का निर्माण कराया जा रहा है। जब तक मेरे द्वारा सेफ्टिक टैंक का निर्माण नहीं करा लिया जाता है तब तक मेरे व मेरे परिवार द्वारा नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा वार्ड संख्या 25 मुहल्ला जालन्धरी में निर्मित सामुदायिक शौचालय का उपयोग किया जायेगा।

4-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि कुल प्रमाण बयानहल्फी हाजा सही व सच है। स्थान नन्दीक कलेवड़ी कुवहरी आजमगढ़। दिनांक 05/11/2024 ई०,



अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़



शपथी, उस्तादपुरा, आजमगढ़

Handwritten signature/initials on the left side of the page.


मुद्रांक १/१० श्री राजेश कुमार : जा. शा. ध. व.
विजय प्रताप सिंह ०८/१५/३१/११/११
ल० नं०-५४
अनेकरी कायदरी अजमेरात

Handwritten text circled in the middle of the page, possibly a date or reference number.

Molchitar
S. Gulam Nabi
1/3/21

Molchitar

Handwritten signature/initials at the bottom of the page.



विशासी अधिकारी
पालिका परिषद
अजमेरात

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI.**

Annexure No. 3
COMPLIANCE AFFIDAVIT

On Behalf of

Nagar Palika Parishad, Azamgarh -----Respondent no.3

IN

MISC. APPLICATION IN DISPOSED OF CASE NO.61/2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 42/2024

(DISTRICT : AZAMGARH)

Madasir Hasan and Others

-----Applicant

Versus

State of U.P

-----Respondents

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़



कार्यालय नगर पालिका परिषद, आजमगढ़

पत्रांक:- 463 /न0पा0प0आ0/2024-25

दिनांक:- 24/08/2024

सेवा में,

धाना प्रभारी
कोतवाली सदर
आजमगढ़।

विषय:- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रमुख बैंच, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0नं0 61/2024 मदस्सिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में मुहल्ला जालंधरी स्थित गड़ही में कुछ चिन्हित घरों से निकलने वाला गन्दा पानी (ग्रे-वाटर) एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गन्दे पानी/टोस अपशिष्टों (ब्लैक वाटर) को गड़ही में फेकने से रोकने के लिए दो बार क्रमशः दिनांक 26.07.2024 एवं 16.08.2024 को नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, किन्तु कुछ लोगों द्वारा मा0 न्यायालय के आदेशों व कार्यालय द्वारा जारी की गयी नोटिस की अवहेलना करते हुए उपरोक्त ब्लैक वाटर व ग्रे-वाटर को गड़ही में प्रवाहित किया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 24.08.2024 को अवर अभियन्ता (जल), अवर अभियन्ता (निर्माण) एवं प्र0 सफाई निरीक्षक एवं डी0पी0एम0 द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अवगत कराया गया कि निम्नलिखित लोगों द्वारा घरों से निकलने वाले गन्दे पानी एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गन्दे पानी/टोस अपशिष्टों को गड़ही में प्रवाहित किया जा रहा है।

- 1- श्री आफताब पुत्र श्री मुख्तार, मो0नं0-9695087704
- 2- श्री शाहनवाज अहमद पुत्र स्व0 मुमताज अहमद मो0नं0-9839080980
- 3- श्री अब्दुल जब्बार कुरैशी पुत्र श्री अब्दुल रहीम
- 4- श्री शमीम पुत्र श्री गुलाम अली
- 5- श्री कर्ला पुत्र श्री सत्तार।
- 6- श्री फैजान पुत्र श्री फिरोज अहमद।
- 7- श्री नासिर कुरैशी पुत्र श्री नूर अहमद।
- 8- श्री दानिश पुत्र श्री मुख्तार।
- 9- श्री मोअज्ज्म पुत्र श्री नसीम खॉ।
- 10- श्री वसीम पुत्र श्री सलीम।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रमुख बैंच, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0नं0 61/2024 मदस्सिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा दी गयी नोटिस के क्रम में उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध जलप्रदूषण अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने का कष्ट करें।

भवदीय

अधिकांसी अधिकारी
अधिकांसी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

प्रतिलिपि:-अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय महोदय आजमगढ़ को सादर सूचना के लिए।

अधिकांसी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़



अधिकांसी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): आजमगढ़

P.S. (थाना): कोतवाली

Year (वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0474

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 24/08/2024 22:15

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974	43

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day
(दिन):

Date From
(दिनांक से):

Date To
(दिनांक तक):

Time Period
(समय अवधि):

Time From
(समय से):

Time To
(समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date
(दिनांक): 24/08/2024

Time (समय): 22:15 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No.
(प्रविष्टि सं.): 050

Date & Time
(दिनांक और समय):

24/08/2024 22:15 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

1

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्
आजमगढ़



29/8/24

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. उत्तर, 01 किमी Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): (बीट सं.):
(b) Address मुहल्ला जालंधरी (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):


- (a) Name (नाम): श्री वेद प्रकाश राय
(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1992
(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	कृते अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, परिषद आजमगढ़, कोतवाली, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	कृते अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, परिषद आजमगढ़,



अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

2	स्थायी पता	कोतवाली, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत
---	------------	-------------------------------------

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8299867006


7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्री आफताब		पिता का नाम : श्री मुख्तार	1. जालंधरी, कोतवाली, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत
2	श्री शाहनवाज अहमद		पिता का नाम : स्व0 मुमताज अहमद	1. जालंधरी, कोतवाली, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत
3	श्री अब्दुल जब्बार कुरैशी		पिता का नाम : श्री अब्दुल रहीम	1. जालंधरी, कोतवाली, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत
4	श्री शमीम		पिता का नाम : श्री गुलाम अली	1. जालंधरी, कोतवाली, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत
5	श्री कली		पिता का नाम : श्री सत्तार	1. जालंधरी, कोतवाली, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत
6	श्री फैजान		पिता का नाम : श्री फिरोज अहमद	1. जालंधरी, कोतवाली, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत
7	श्री नासिर कुरैशी		पिता का नाम : श्री नूर अहमद	1. जालंधरी, कोतवाली, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत
8	श्री दानिश		पिता का नाम : श्री मुख्तार	1. जालंधरी, कोतवाली, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत

3



अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

9	श्री मोअज्जूम	पिता का नाम : श्री नसिम खा	1. जालंधरी, कोतवाली, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत
10	श्री वसीम	पिता का नाम : श्री शलीम	1. जालंधरी, कोतवाली, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
--------------------	--	---------------------------------------	------------------------	--

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)


11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी -कार्यालय नगर पालिका परिषद, आजमगढ़। पत्रांक 463/न0पा0पा0प0आ0/2024/25 दिनांक 24.08.24 सेवा मे थाना प्रभारी कोतवाली सदर आजमगढ़ विषय:- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में। महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रमुख वैच, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0न0 61/2024 मदस्सिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में मुहल्ला जालंधरी स्थित गड़ही में कुछ चिन्हित घरों से निकलने वाला गन्दा पानी (ग्रे-वाटर) एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गन्दे पानी/ठोस अपशिष्टों (ब्लैक वाटर) को गड़ही में फेकने से रोकने के लिए दो बार क्रमशः दिनांक 26.07.2024 एवं 16.08.2024 को नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, किन्तु कुछ लोगों द्वारा मा न्यायालय के आदेशों व कार्यालय द्वारा जारी की गयी नोटिस की अवहेलना करते हुए उपरोक्त ब्लैक वाटर व ग्रे-वाटर को गड़ही में प्रवाहित किया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 24.08.2024 को अवर अभियन्ता (जल), अवर अभियन्ता (निर्माण) एवं प्र सफाई निरीक्षक एवं डीपीएम द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अवगत कराया गया कि निम्नलिखित लोगों द्वारा घरों से निकलने वाले गन्दे पानी एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गन्दे पानी ठोस अपशिष्टों को गड़ही में प्रवाहित किया जा रहा है। 1- श्री आफताब पुत्र श्री मुख्तार, मो0न0-9695087704 2- श्री शाहनवाज अहमद पुत्र स्व मुमताज अहमद मो0न0-9839080980 3- श्री अब्दुल जब्बार कुरैशी पुत्र श्री अब्दुल रहीम 4- श्री शमीम पुत्र श्री गुलाम अली 5. श्री कली पुत्र श्री सतार 6- श्री फैजान पुत्र श्री

4



अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

फिरोज अहमद 7- श्री नासिर कुरैशी पुत्र श्री नूर अहमद। 8- श्री दानिश पुत्र श्री मुख्तार। 9- श्री मोअज्जूम पुत्र श्री नसीम खा। 10- श्री वसीम पुत्र श्री सलीम। अतः मा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रमुख बैंच, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0नं0 61/2024 मदस्सिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा दी गयी नोटिस के क्रम में उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध जलप्रदूषण अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने का कष्ट करें। हस्ताक्षर अग्रेजी अपठनीय कृते अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ वेद प्रकाश राय MOB-8299867006 प्रतिलिपी अपर जिलाधिकारी(वि0रा0)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय महोदय आजमगढ को सादर सूचनार्थ हस्ताक्षर अपठनीय अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ आदेश श्रीमान् प्रभारी निरीक्षक महोदय HM/CM कृ0FIR पंजीकृत करे हस्ताक्षर Sd अपठनीय नोट मै का0मु0 रितेश उपाध्याय प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा तहरीर को अक्षरशः टाईप किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)


(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) Abhishek kumar Rank SI (Sub-Inspector)
(जांच अधिकारी का नाम): kushwaha (पद):

No. 231051912 to take up the investigation
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):



अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

District

(थाना):

(ज़िला):


on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):



Signature of Officer in charge,
Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name SASHI MAULI PANDE

Rank I (Inspector)

No. 002300069



6

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
अजमेरगढ़

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI.**

Annexure No. 4
COMPLIANCE AFFIDAVIT

On Behalf of

Nagar Palika Parishad, Azamgarh -----Respondent no.3

IN

MISC. APPLICATION IN DISPOSED OF CASE NO.61/2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 42/2024

(DISTRICT : AZAMGARH)

Madasir Hasan and Others

-----Applicant

Versus

State of U.P

-----Respondents



अधिकाारी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
आजमगढ

4

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती रीयाज खन्ना
 पुत्र/पत्नी/पुत्री रीयाज खन्ना आधार संख्या-B.59449.5913103
 मोबाइल नं-9026476810 निवासी वार्ड नं-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ क
 स्थायी निवासी/निवासनी है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं-25 मुहल्ला-जालन्धर
 शहर-आजमगढ़ में स्थित गड़ही का नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा विधिवत सफाई एवं वर्षों से
 पड़े कुड़े का निस्तारण, गड़ही के गन्दा पानी का बायोरेमेडिएशन कराया गया एवं गड़ही का गन्दा पान
 पम्पिंग सेट(मोनो सेट) के माध्यम से नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा सफलतापूर्वक निकलवा दिय
 गया है, जिससे मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ में स्थित गड़ही साफ हुयी है एवं मुहल्लावासियों के
 स्वास्थ्य पर गड़ही में मौजूद गंदगी के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से भी छुटकारा प्राप्त हुआ है।
 नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा उक्त गड़ही में स्थित गन्दे पानी के निकासी का स्थायी निस्तारण
 के क्रम में नाला/नाली का नवीन निर्माण कार्य भी कराया गया जा रहा है।

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती रीयाज खन्ना
 पुत्र/पत्नी/पुत्री रीयाज खन्ना 9026476810
 निवासी वार्ड नं-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की इस
 कार्यवाही से पूर्णरूप से संतुष्ट व चित्त प्रसन्न हूँ। वर्तमान समय के पालिका प्रशासन द्वारा अविश्वसनीय
 कार्य वार्ड व मुहल्लावासियों के हित में किया गया है, जिसके लिए पालिका प्रशासन बधाई का पात्र है।

दिनांक:- 24-08-2024

हस्ताक्षर




अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़

मै श्री/श्रीमती/कुमारी रीशाल अहमद
 पुत्र/पत्नी/पुत्री..... मुसताज अहमद आधार संख्या- 96178580
 मोबाइल नं०-..... 89369831224 / निवासी वार्ड नं०-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ का
 स्थायी निवासी/निवासनी है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं०-25 मुहल्ला-जालन्धरी
 शहर-आजमगढ़ में स्थित गड़ही का नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा विधिवत सफाई एवं वर्षों से
 पड़े कुड़े का निस्तारण, गड़ही के गन्दा पानी का बायोरेमेडिएशन कराया गया एवं गड़ही का गन्दा पानी
 पम्पिंग सेट (मोनो सेट) के माध्यम से नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा सफलतापूर्वक निकलवा दिया
 गया है, जिससे मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ में स्थित गड़ही साफ हुयी है एवं मुहल्लावासियों के
 स्वास्थ्य पर गड़ही में मौजूद गंदगी के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से भी छुटकारा प्राप्त हुआ है।
 नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा उक्त गड़ही में स्थित गन्दे पानी के निकासी का स्थायी निस्तारण
 के क्रम में नाला/नाली का नवीन निर्माण कार्य भी कराया गया जा रहा है।


मै श्री/श्रीमती/कुमारी..... रीशाल अहमद
 पुत्र/पत्नी/पुत्री..... मुसताज अहमद
 निवासी वार्ड नं०-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की इस
 कार्यवाही से पूर्णरूप से संतुष्ट व चित प्रसन्न हूँ। वर्तमान समय के पालिका प्रशासन द्वारा अविश्वसनीय
 कार्य वार्ड व मुहल्लावासियों के हित में किया गया है, जिसके लिए पालिका प्रशासन बधाई का पात्र है।

दिनांक:- 23-08-2024

हस्ताक्षर

रीशाल अहमद

2



अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़

मै श्री/श्रीमती/कुमारी ... RUKHSANA KHANAM

पुत्र/पत्नी/पुत्री... MOHD. AKHTAR KHAN. AZMI.....आधार संख्या-..931461784968

मोबाइल नं0-.....9415656949..... निवासी वार्ड नं0-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ का स्थायी निवासी/निवासनी है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं0-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ में स्थित गड़ही का नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा विधिवत सफाई एवं वर्षों से पड़े कुड़े का निस्तारण, गड़ही के गन्दा पानी का बायोरेमेडिएशन कराया गया एवं गड़ही का गन्दा पानी पम्पिंग सेट(मोनो सेट) के माध्यम से नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा सफलतापूर्वक निकलवा दिया गया है, जिससे मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ में स्थित गड़ही साफ हुयी है एवं मुहल्लावासियों के स्वास्थ्य पर गड़ही में मौजूद गंदगी के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से भी छुटकारा प्राप्त हुआ है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा उक्त गड़ही में स्थित गन्दे पानी के निकासी का स्थायी निस्तारण के क्रम में नाला/नाली का नवीन निर्माण कार्य भी कराया गया जा रहा है।

मै श्री/श्रीमती/कुमारी.... RUKHSANA KHANAM


पुत्र/पत्नी/पुत्री... MOHD. AKHTAR KHAN. AZMI.....

निवासी वार्ड नं0-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की इस कार्यवाही से पूर्णरूप से संतुष्ट व चित प्रसन्न हूँ। वर्तमान समय के पालिका प्रशासन द्वारा अविश्वसनीय कार्य वार्ड व मुहल्लावासियों के हित में किया गया है, जिसके लिए पालिका प्रशासन बधाई का पात्र है।

Rukhsana Khana
हस्ताक्षर

दिनांक-: 22/8/24


अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़




मैं श्री/श्रीमती/कुमारी हसीब अहमद आजमी.....
 पुत्र/पत्नी/पुत्री स्वर्गीय डॉ० अब्दुल कदीर आजमी.....आधार संख्या-9830.2569.8360..
 मोबाइल नं०-...9.4.5.24.8.2.6.73 निवासी वार्ड नं०-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ का
 स्थायी निवासी/निवासनी है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं०-25 मुहल्ला-जालन्धरी
 शहर-आजमगढ़ में स्थित गड़ही का नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा विधिवत सफाई एवं वर्षों से
 पड़े कुड़े का निस्तारण, गड़ही के गन्दा पानी का बायोरेमेडिएशन कराया गया एवं गड़ही का गन्दा पानी
 पम्पिंग सेट(मोनो सेट) के माध्यम से नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा सफलतापूर्वक निकलवा दिया
 गया है, जिससे मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ में स्थित गड़ही साफ हुयी है एवं मुहल्लावासियों के
 स्वास्थ्य पर गड़ही में मौजूद गंदगी के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से भी छुटकारा प्राप्त हुआ है
 नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा उक्त गड़ही में स्थित गन्दे पानी के निकासी का स्थायी निस्तारण
 के क्रम में नाला/नाली का नवीन निर्माण कार्य भी कराया गया जा रहा है।

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी हसीब अहमद आजमी.....
 पुत्र/पत्नी/पुत्री स्वर्गीय डॉ० अब्दुल कदीर आजमी.....
 निवासी वार्ड नं०-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की इस
 कार्यवाही से पूर्णरूप से संतुष्ट व चित्त प्रसन्न हूँ। वर्तमान समय के पालिका प्रशासन द्वारा अविश्वसनीय
 कार्य वार्ड व मुहल्लावासियों के हित में किया गया है, जिसके लिए पालिका प्रशासन बधाई का पात्र है।

दिनांक:- 21-08-2024


हस्ताक्षर



अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़

मै श्री/श्रीमती/कुमारी शाहबाज शाहिद
 पुत्र/पत्नी/पुत्री..... शाहिद शाहिद आधार संख्या- 912536281868.
 मोबाइल नं0- 8952114884 निवासी वार्ड नं0-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ का
 स्थायी निवासी/निवासनी है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं0-25 मुहल्ला-जालन्धरी
 शहर-आजमगढ़ में स्थित गड़ही का नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा विधिवत सफाई एवं वर्षों से
 पड़े कुड़े का निस्तारण, गड़ही के गन्दा पानी का बायोरेमेडिएशन कराया गया एवं गड़ही का गन्दा पानी
 पम्पिंग सेट (मोनो सेट) के माध्यम से नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा सफलतापूर्वक निकलवा दिया
 गया है, जिससे मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ में स्थित गड़ही साफ हुयी है एवं मुहल्लावासियों के
 स्वास्थ्य पर गड़ही में मौजूद गंदगी के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से भी छुटकारा प्राप्त हुआ है।
 नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा उक्त गड़ही में स्थित गन्दे पानी के निकासी का स्थायी निस्तारण
 के क्रम में नाला/नाली का नवीन निर्माण कार्य भी कराया गया जा रहा है।

मै श्री/श्रीमती/कुमारी..... शाहबाज शाहिद
 पुत्र/पत्नी/पुत्री..... शाहिद शाहिद
 निवासी वार्ड नं0-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की इस
 कार्यवाही से पूर्णरूप से संतुष्ट व चित प्रसन्न हूँ। वर्तमान समय के पालिका प्रशासन द्वारा अविश्वसनीय
 कार्य वार्ड व मुहल्लावासियों के हित में किया गया है, जिसके लिए पालिका प्रशासन बधाई का पात्र है।

दिनांक:- 20-08-2024

हस्ताक्षर

Shabbaz Shaid

अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़



मै श्री/श्रीमती/कुमारी राशिद फजान

पुत्र/पत्नी/पुत्री.....मजबुल हक.....आधार संख्या-99020611315

मोबाइल नं०-9026304744..... निवासी वार्ड नं०-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ का स्थायी निवासी/निवासनी है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं०-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ में स्थित गड़ही का नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा विधिवत सफाई एवं वर्षों से पड़े कुड़े का निस्तारण, गड़ही के गन्दा पानी का बायोरेमेडिएशन कराया गया एवं गड़ही का गन्दा पानी पम्पिंग सेट(मोनो सेट) के माध्यम से नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा सफलतापूर्वक निकलवा दिया गया है, जिससे मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ में स्थित गड़ही साफ हुयी है एवं मुहल्लावासियों के स्वास्थ्य पर गड़ही में मौजूद गंदगी के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से भी छुटकारा प्राप्त हुआ है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा उक्त गड़ही में स्थित गन्दे पानी के निकासी का स्थायी निस्तारण के क्रम में नाला/नाली का नवीन निर्माण कार्य भी कराया गया जा रहा है।

मै श्री/श्रीमती/कुमारी राशिद फजान


पुत्र/पत्नी/पुत्री.....मजबुल हक.....

निवासी वार्ड नं०-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की इस कार्यवाही से पूर्णरूप से संतुष्ट व चित प्रसन्न हूँ। वर्तमान समय के पालिका प्रशासन द्वारा अविश्वसनीय कार्य वार्ड व मुहल्लावासियों के हित में किया गया है, जिसके लिए पालिका प्रशासन बधाई का पात्र है।

दिनांक:- 21-08-2024

Rashid Faiz
हस्ताक्षर

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़



मै श्री/श्रीमती/कुमारी संजया मुल ६५

पुत्र/पत्नी/पुत्री..... अ.प.र.ल. ६५.....आधार संख्या- ०००२७०००७५५


मोबाइल नं०- ०३०३३५५९३३..... निवासी वार्ड नं०-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ का स्थायी निवासी/निवासनी है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड नं०-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ में स्थित गड़ही का नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा विधिवत सफाई एवं वर्षों से पड़े कुड़े का निस्तारण, गड़ही के गन्दा पानी का बायोरेमेडिएशन कराया गया एवं गड़ही का गन्दा पानी पम्पिंग सेट(मोनो सेट) के माध्यम से नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा सफलतापूर्वक निकलवा दिया गया है, जिससे मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ में स्थित गड़ही साफ हुयी है एवं मुहल्लावासियों के स्वास्थ्य पर गड़ही में मौजूद गंदगी के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से भी छुटकारा प्राप्त हुआ है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा उक्त गड़ही में स्थित गन्दे पानी के निकासी का स्थायी निस्तारण के क्रम में नाला/नाली का नवीन निर्माण कार्य भी कराया गया जा रहा है।

मै श्री/श्रीमती/कुमारी..... संजया मुल ६५

पुत्र/पत्नी/पुत्री..... अ.प.र.ल. ६५..... निवासी वार्ड नं०-25 मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की इस कार्यवाही से पूर्णरूप से संतुष्ट व चित प्रसन्न हूँ। वर्तमान समय के पालिका प्रशासन द्वारा अविश्वसनीय कार्य वार्ड व मुहल्लावासियों के हित में किया गया है, जिसके लिए पालिका प्रशासन बधाई का पात्र है।

P. K. Dwivedi
हस्ताक्षर

दिनांक:- 20-08-2024



आजमगढ़ अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI.**

Annexure No. 5
COMPLIANCE AFFIDAVIT

On Behalf of

Nagar Palika Parishad, Azamgarh -----Respondent no.3

IN

MISC. APPLICATION IN DISPOSED OF CASE NO.61/2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 42/2024

(DISTRICT : AZAMGARH)


Madasir Hasan and Others

-----Applicant

Versus

State of U.P

-----Respondents



अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

राजेश्वर
श्री शर्मा


NAGGAR PALIKA PARISHAD AZAMGARH

MISSION

नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा



मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ में स्थित गड़ही के

समीप नाला / नाली का निर्माण कार्य





अधिकासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

(5)




(Signature)
 अवर अभियन्ता (निर्माण)
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़




(Signature)
 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़






P.K.
अवर अभियन्ता (निर्माण)
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़



P.K.
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI.**

Annexure No. 6
COMPLIANCE AFFIDAVIT

On Behalf of

Nagar Palika Parishad, Azamgarh -----Respondent no.3

IN

MISC. APPLICATION IN DISPOSED OF CASE NO.61/2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 42/2024

(DISTRICT : AZAMGARH)

Madasir Hasan and Others


-----Applicant

Versus

State of U.P

-----Respondents

अधिशायसी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़



राजेश्वरी
शहर


NAGGAR PALIKA PARISHAD
AZAMGARH

CHHIBHANIPAT MISSION


नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा


मुहल्ला—जालन्धरी शहर—आजमगढ़ में स्थित गड्डी की विधिवत

साफ—सफाई का कार्य




अधिकाारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
अजमगढ़





 प्रोसफार्ड निरीक्षक
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़





Advertisement, Uttar Pradesh, State Government, Lucknow, India. For more information, contact the Government of Uttar Pradesh, Lucknow, India. Phone: 0522-2345678. Fax: 0522-8765432. Email: info@up.gov.in




Advertisement, Uttar Pradesh, State Government, Lucknow, India. For more information, contact the Government of Uttar Pradesh, Lucknow, India. Phone: 0522-2345678. Fax: 0522-8765432. Email: info@up.gov.in

प्रोसफार्म निरीषक
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़



Advertisement, Uttar Pradesh, State Government, Lucknow, India. For more information, contact the Government of Uttar Pradesh, Lucknow, India. Phone: 0522-2345678. Fax: 0522-8765432. Email: info@up.gov.in





Advertisement, Uttar Pradesh, State Government, Lucknow, India. For more information, contact the Government of Uttar Pradesh, Lucknow, India. Phone: 0522-2345678. Fax: 0522-8765432. Email: info@up.gov.in

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़



अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़




 प्र०सफाई निरीक्षक
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़

अधिसासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़

अधिसासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 आजमगढ़



29-8-2014

VAKALATNAMA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

MISC. APPLICATION IN DISPOSED OF CASE NO.61/2024
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 42/2024



District - Azamgarh

Madasir Hasan and OrsPetitioner/Appellant)

VERSUS

State of U.P...... (Respondents/Opp. Party)

In the above matter :-

I/We... Vivek Tripathi s/o Vijay Mani Tripathi R/o 42, a
Dakhi, Kolhi Bazar, Post Rajmadia, Kala, Kailhal
Mahanagar, U.P. presently Executive officer Nagar Palika Parshad Azamgarh

Engaged:

ABHISHEK KRISHNA

(Advocate)

Advocate -on- Roll No.- A/A2059/2013


CHAMBER

197, T.U. Building

High Court, Allahabad

Mb.No. 7800436099

Email: abhishekkrishna2@rediffmail.com



OFF:

87-A, Baghambari Road, Near Pani Ki Tanki, Allapur, Prayagraj

As my counsel is to plead and argue on my behalf of. She/he is authorized to sign every relevant document and file applications. He/she/they will inspect the court files and records and will obtain certified copies of orders and document. She/he/will be counsel in every further proceeding of the Review, Revision, Appeal etc.

I undertake to pay the fee of counsel. If the entire demand fee is not paid before the final arguments then the counsel are not bound to appear in the court and attend any work on my behalf. If the matter is decided or any order is passed against me, then the counsel will not be responsible and answerable for the same in any manner. In special circumstances, I agree to pay extra fee if so demanded by the counsel. He is authorized to engage any other counsel along with he/she or in his place. If also agree to such new counsel engaged by our counsel. The counsel will be entitled to receive and retain any cost awarded to me apart from his fee. He will not be responsible to pay any cost awarded against me. Every act done by the counsel in good faith will be binding on me.

SIGNATURE : 1. [Signature] अधिकारी
नगर-मालिका परिषद
आजमगढ़ 2.

WITNESSES 1. [Signature] A/A 2059/13 2.

Accepted - **ABHISHEK KRISHNA**

Dated - 29/8/24

Counsels for the

Respondent No. 3